

2/8/24

पत्रावली पेश हुई वकील वारी उप-। वकील वारी नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये, अर्थात् नवीन वाद पत्र विद्रो करना चाहते हैं। वकील वारी को सुना गया। वकील वारी द्वारा पत्रावली में निवेदन किया गया कि वारी गण पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र विद्रो करना है। वकील वारी द्वारा इस बाबत पत्रावली आदेशिका पर टिप्पणी की। ऐसी स्थिति में पत्रावली वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही अज्ञेय नही रह जाती है अतः वारी गणों के नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र धारा 88 RTA पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली में फल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल रहता है।

उपसुपुंड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

Sir

नवीन वाद पत्र
पेश करने के
अधिकार को
सुरक्षित रखते
हुये वाद पत्र
को विद्रो करना
है।
मो० सुकुपुंड
मोहम्मद सुकुपुंड
सु०
(वारी गण)